संख्या : / /जी0एस0 / शिक्षा / A3-59(2)/2021

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड **देहरादून दिनांक 5 सितम्बर, 2022**

महोदय,

कृपया कुलसचिव के पत्र संख्या : 625 / के0यू0 / मान्यता / सम्बद्धता / 2021 दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कुलसचिव द्वारा केशव सूर्यमुखी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, शक्तिफार्म, सितारगंज, ऊधमसिंहनगर को बी0ए0 एवं बी0–एससी0 पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2021–22 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2021–22 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37 (2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन / स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्रमांक	**महाविद्यालय / संस्थान का नाम**	**पाठ्यक्रम का नाम**	**प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)**	**अस्थाई सम्बद्धता की अवधि**
1	2	3	4	5
01	केशव सूर्यमुखी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, शक्तिफार्म, सितारगंज, ऊधमसिंहनगर।	**बी0ए0** (हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं संस्कृत)	180 सीट	2021–22
		बी0–एससी0 (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान)	60 सीट प्रति ग्रुप	

1– निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

2– विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा Trust Act के अन्तर्गत निर्धारित Legal Obligation के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित आख्या एक माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

3– यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालयों से पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान समस्त पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में पाठ्यक्रमानुसार मानक पूर्ण किये जाने विषयक आख्या सम्बन्धित विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगा तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय तद्विषयक आख्या इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्थान में पुस्तकें मानकानुसार पूर्ण कराये जाने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

4– संस्थान यू0जी0सी0 विनियम–2009 के नियम 3.4.7 की व्यवस्थानुसार सम्बद्धता प्राप्ति के 03 माह के भीतर फैकल्टी का अनुमोदन विश्वविद्यालय से कराना सुनिश्चित करेगा।

5– यदि किसी पाठ्यक्रम के तकनीकी मानक राष्ट्रीय स्तर के किसी नियामक संस्थान द्वारा निर्धारित नहीं किये गये हों तो विश्वविद्यालय द्वारा 03 माह के भीतर सम्बन्धित पाठ्यक्रम के मानक निर्धारित किये जायेंगे।

6– विश्वविद्यालय संस्थान की Annual Balance Sheet सम्बन्धी साक्ष्य की सत्यापित प्रति प्राप्त कर एक प्रति इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

7– अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्थान एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अतिरिक्त उपरोक्त बिन्दु 02, 05, 06, 07 व 08 में उल्लिखित प्रपत्रों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 2064 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A3-59(2)/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य–केशव सूर्यमुखी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, शक्तिफार्म, सितारगंज, ऊधमसिंहनगर।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।